



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232759
CG-DL-E-19012022-232759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]
No. 257]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 261(अ).— केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले में कि.मि. 32.910 से कि. मि. 89.089 तक के भूखंड (तेलंगाना/ महाराष्ट्र बार्डर - गोविंदपुर- कोरपना -वनसडी -गडचांदूर - बामनवाडा - राजुरा) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353बी तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन बनाने आदि.) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है। जिसका संक्षिप्त वर्णन निचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप विभागीय अधिकारी और भू-अर्जन अधिकारी, राजुरा महाराष्ट्र को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तीगत रूप में या किसी विधीक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों कि सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदी कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353बि के कि. मी.. 32/910 से 89/089 कि.मी. तक (तेलंगाना/महाराष्ट्र बार्डर -गोविंदपुर-कोरपणा-वनसडी- गडचांदूर-बामनवाडा - राजुरा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: चंद्रपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कोरपणा					
गांव का नाम: देवघाट रीथ					
1	6/1	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर	0.3800000(हेक्टेयर)	0.3800000
गांव का नाम: गडचांदूर					
1	111	निजी(क्लास 1)	नान् एग्रीकल्चर.	0.2522920(हेक्टेयर)	0.2522920
2	355/1	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर.	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
3	358/2	सरकारी(गव्हर्नमेन्ट.)	लागवडीस अयोग्य	0.0061210(हेक्टेयर)	0.0061210
4	359/3	सरकारी(गव्हर्नमेन्ट.)	लागवडीस अयोग्य	0.0115020(हेक्टेयर)	0.0115020
गांव का नाम: गोविंदपुर (परसोड़ा)					
1	57/2	निजी(क्लास 2)	एग्रीकल्चर.	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
गांव का नाम: सोनुरली (वांसडी)					
1	26/1	सरकारी(गव्हर्नमेन्ट.)	लागवडीस अयोग्य	0.9400000(हेक्टेयर)	0.9400000
2	26/2	निजी(क्लास 2)	एग्रीकल्चर.	0.4000000(हेक्टेयर)	0.4000000
3	5/3	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर.	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
गांव का नाम: तुतरा					
1	5/4a,5/4b Plot-14	निजी(क्लास-1)	नान्-एग्रीकल्चर	0.0100850(हेक्टेयर)	0.0100850
गांव का नाम: वडगाओं					
1	14	निजी(क्लास 1)	एग्रीकल्चर.	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
तालुक का नाम: राजुरा					
गांव का नाम: हरडोना बक.					
1	Road No Survey Number	सरकारी(गवर्नमेंट)	गवर्नमेंट	0.4900000(हेक्टेयर)	0.4900000

गांव का नाम: कपंगों					
1	44	निजी(क्लास 2)	एग्रिकल्चर	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
कुल				2.9600	2.9600

[फा. सं.1203/72/2016-MAH(P-6)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two/Four-laning, etc.), Maintenance, Management and Operation of National Highway No. 353B in the stretch of land from **Km. 32.910 to Km.9.090 (Telangana/ Maharashtra Border-Govindpur-Korpana-Wansadi-Gadchandur-Bamanwada-Rajura)** of NH-353B in the Districts of **Chandrapur** in the State of **Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Sub Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Rajura** in the State of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the Land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km. 32/910 to Km 89/090 (Telangana /Maharashtra Border-Govindpur-Korpana-Wansadi-Gadchandur-Bamanwada-Rajura) of the National Highway No.353B in the District of Chandrapur in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: CHANDRAPUR			
Sl.No	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Korpana					
Village: Devghat Rith					
1	6/1	Private(Class i)	Agriculture	0.3800000(Hectare)	0.3800000
Village: Gadchandur					
1	111	Private(Class 1)	Non Agriculture.	0.2522920(Hectare)	0.2522920
2	355/1	Private(Class 1)	Agriculture.	0.1500000(Hectare)	0.1500000
3	358/2	Government	Not fit for Cultivation.	0.0061210(Hectare)	0.0061210
4	359/3	Government	Not fit for Cultivation.	0.0115020(Hectare)	0.0115020

Village: Govindpur (parsoda)					
1	57/2	Private(Class 2)	Agriculture.	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Village: Sonurli (Wansadi)					
1	26/1	Government	Not fit for Cultivation.	0.9400000(Hectare)	0.9400000
2	26/2	Private(Class 2)	Agriculture.	0.4000000(Hectare)	0.4000000
3	5/3	Private(Class 1)	Agriculture.	0.0700000(Hectare)	0.0700000
Village: Thutra					
1	5/4a,5/4b Plot-14	Private(Class-1)	Non-Agriculture	0.0100850(Hectare)	0.0100850
Village: Wadgaon					
1	14	Private(Class 1)	Agriculture.	0.1200000(Hectare)	0.1200000
Taluk: Rajura					
Village: Hardona Bk.					
1	Road No Survey Number	Government	Government	0.4900000(Hectare)	0.4900000
Village: Kapangaon					
1	44	Private(Class 2)	Agriculture	0.1100000(Hectare)	0.1100000
Total				2.9600	2.9600

[F.No.1203/72/2016-MAH(P-6)/3A]

RAJESH GUPTA, Director